परिवहन निगम के बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला में साईलेंट जनरेटर किराये पर लगाने के सम्बन्ध में निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गाजियाबाद क्षेत्र के खुर्जा, बुलन्दशहर, गाजियाबाद बस स्टेशन व कौशाम्बी डिपो(बस स्टेशन) हेतु साईलेंट नये एवं ब्राडेंड(किर्लोस्कर, महेन्द्रा, क्यूमिन्स, लीलेन्ड आदि) जनरेटर लगाने हेतु मासिक किराये पर निविदा आमंत्रित की जाती है। वह टेण्डर फार्म कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, 1 ए कौशाम्बी गाजियाबाद में **टेण्डर फार्म फीस रू0 500/—+जी0एस0टी0** धनराशि जमा कर कार्यालय अवधि में टेण्डर फार्म प्राप्त कर सकते है। जो **दिनॉक 31.07.2019** को समय 14:00 बजे तक प्राप्त निविदाओं को उसी दिन समय 15:00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। विवरण निम्नवत् है:—

क्र0स0	कार्यशाला/डिपो का नाम	क्षमता
01	खुर्जा	63 के0वी0
02	बुलन्दशहर	63 के0वी0
03	गाजियाबाद बस स्टेशन	63 के0वी0
04	कौशाम्बी बस स्टेशन	63 के0वी0

निविदा प्रपत्र परिवहन निगम की बेवससाईट www.upsrtc.com से भी डाउनलौड की जा सकती है, जिसके लिऐ रू0 590.00 का बैंक ड्राफ्ट जो Regional Manager, upsrtc Ghaziabad के नाम से देय होगा, पेयबल भी गाजियाबाद होना चाहिए। जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा दिनॉक 31.07.2019 को 14.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। उसके बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा जो कार्यालय में **समय 15.00 बजे** सभी निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। 03 वर्ष उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर पुनः अनुबन्ध का 02 वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकता है। प्रत्येक डिपोज/बस स्टेशन/कार्यशाला हेतु पृथक—पृथक निविदाऐं प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा।

नियम व शर्ते

1.**खुर्जा, बुलन्दशहर, गाजियाबाद बस स्टेशन व कौशाम्बी डिपो(बस स्टेशन)** हेतु जनरेटर की न्यूनतम क्षमता 63 के0वी0ए0 की होगी।

2.निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् 15 दिवसों के अन्दर नया जनरेटर लगाना होगा तथा उसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

3.जनरेटर का संचालन हेतु आपरेटर,डीजल, मोबिल आयल एवं मैन्टीनेंस, कलपुर्जे आदि का व्यय निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा।

4. जनरेटर के डीजल में आने वाले व्यय का वहन निविदादाता द्वारा किया जायेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति परिवहन निगम द्वारा डीजल औसत के आधार पर, प्रचलित डीजल दर पर की जायेगी।

5.डीजल औसत की समीक्षा परिवहन निगम द्वारा समय—समय पर गठित समिति के द्वारा की जायेगी, जिसके सदस्य निविदादाता/प्रतिनिधि भी होगें। उनके द्वारा निर्धारित डीजल औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा। स0क्षे0प्र0 डिपोज द्वारा बिल सत्यापित व प्रतिहस्ताक्षरित कर जनरेटर के मासिक किराये बिल का भुगतान बिल प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर देय होगा। भुगतान की कार्यवाही सेवा प्रबंधक कार्यालय से सम्पादित की जायेगी।

6.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.रू0 20,000.00(रू0 बीस हजार) की प्रतिभूति का बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गाजियाबाद के नाम से प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न करना होगा। जिस संस्था का टेण्डर अस्वीकार होगा, उसको ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। चयनित फर्म की प्रतिभूति राशि नो—ड्यूज उपरान्त वापस कर दी जायेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

8.निविदा स्वीकृत होने पर अनुबंध पत्र एवं अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण करनी होगी।

9. किसी भी टेण्डर/नीलामी को अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा।

10.संस्था को किसी भी विभाग से ब्लैकलिस्टे नही होने का प्रमाण—पत्र रू0 10/— के स्टाम्प पर देना होगा।

11.टेण्डर फार्म के साथ फर्म/संस्था को पैनकार्ड, कम्पनी रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र,जी0एस0टी0 प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।

12.अनुबंध में आने वाला स्टाम्प शुल्क फर्म को वहन करना होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

13.समस्त कर संस्था को ही वहन करने होगें।
14.कार्य सन्तोषजनक न होने पर एक माह के नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
15.जनरेटर स्थापित करने पर समस्त देयता फर्म/संस्था की होगी। परिवहन निगम अपनी आवश्कतानुसार स्थान पर जनरेटर स्थापित करायेगा। जिसको संबंधित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक,/फौरमैन,/केन्द्र प्रभारी, अवगत करायेगें।

अन्य शर्ते व जानकारी कार्य दिवस में उपस्थित होकर ले सकते है एवं जिस डिपो में जनरेटर लगाना है तो वहॉ का निरीक्षण कर सकते है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
कौशाम्बी,गाजियाबाद।

पत्रांकः 6764 **/क्षे0प्र0/गा0बाद/सामान्य/जनरेटर/2019** **दिनांकः–15 –07–2019**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–ईमेल के माध्यम से

1– प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ,।
2– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ।
3– सहायक प्रबंधक(एम0आई0एस0) लखनऊ को विज्ञप्ति बेबसाईट www.upsrtc.com पर प्रकाशित करने हेतु।
4– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम,................ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5– सेवा प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,उ0प्र0परिवहन निगम,खुरजा/बु0शहर/सि0बाद/हापुड/लोनी/साहिबाबाद /कौशाम्बी/ आनन्द विहार/गाजियाबाद बस स्टेशन डिपो को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा कराकर उसकी सूचना कार्यालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
6– नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/डिपो/बस स्टेशन, पर चस्पा हेतु। द्वाराः–केन्द्र प्रभारी
7– tender@upsrtc.com पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद

Downloaded from www.upsrtc.com

tender janerter1

उ०प्र०रा०स०परि०नि०
क्रम सं०....................

मूल्य 500.00+जी०एस०टी० रूपये
रसीद संख्या................

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ
निविदा प्रपत्र

निविदा जारी करने का दिनांक.................................. निविदा निर्गत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर.......................
क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ०प्र० परिवहन निगम
गाजियाबाद

1. संस्था/टेण्डरदाता/प्रो० का नाम : ....
2. नाम/पिता का नाम : ....
3. स्थाई पता(ईमेलसहित) : ....
....
....
4. बस स्टेशन/डिपो का नाम जिसके लिऐ निविदा दी जा रही है, : ....
....
5. संचालन की अवधि : ....
6. प्रस्तावित शुल्क प्रतिमाह
लाईसेंस शुल्क (शब्दों में) ....
(अंकों में) ....
7. प्रतिभूति धनराशि का विवरण : .
बैंक ड्राफ्ट स0.................................दिनाँक...............................रू0.....................................
बैंक का नाम..
उक्त दी गयी सूचनायें सही है एवं यदि उसमें कोई सूचना गलत साबित होती है तो इस हेतु में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगा।

टेण्डर दाता के हस्ताक्षर

नोट : एक निविदा प्रपत्र केवल एक ही स्थान के लिए मान्य होगा। यदि निविदा प्रस्ताव स्वीकृत नही होता है तो जमा टेण्डरमनी का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया गया। निविदा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकृत करने का एक मात्र अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com